न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/75/2023	2023/397	26.07.2023	11.12.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री दिनेश कुमार मेहन्दीरत्ता मै0 कीर्ति मारूति पार्ट्स, सुभाष नगर, अग्रसेन सर्किल के पास (कियोस्क नं0 87, 88 एवं 89), अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 07 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा) और 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर आईओसी (19 किग्रा) के, 03 इलेक्ट्रिक मोटर (बिना मार्का), 05 रेग्यूलेटर मय सुरक्षा पाईप, को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री विनोद जुनेजा (प्रवर्तन अधिकारी, अलवर) —विभागीय प्रतिनिधि

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय, अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैसः (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 07 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा) और 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर आईओसी (19 किग्रा) के, 03 इलेक्ट्रिक मोटर (बिना मार्का), 05 रेग्यूलेटर मय सुरक्षा पाईप, को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6—ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 20.10.2022 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की भांच हेतु सुभाष नगर, अग्रसेन सर्किल के पास (कियोस्क नं0 87, 88 एवं 89) अलवर शहर पर पहुंचे। मौके पर श्री दिनेश कुमार मेहन्दीरत्ता पुत्र श्री भगवान दास, निवासी 2/116. एनईबी हाउसिंग बोर्ड, अलवर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) में से इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से एलपीजी गैस को निकालकर वाहनों में भरने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर श्री दिनेश कुमार मेहन्दीरत्ता पुत्र श्री भगवान दास की दुकान की जांच फी गई, जिसमे 7 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा) और 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर आईओसी (19 किग्रा) के 3 इलेक्ट्रिक मोटर (बिना मार्का), 5 रेग्यूलेटर मय सुरक्षा पाईप पाये गये। श्री दिनेश कुमार मेहन्दीरत्ता पुत्र श्री भगवान दास द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री दिनेश कुमार मेहन्दीरत्ता पुत्र श्री भगवान दास द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग किया जा रहा था, जोकि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 15 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 7 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा) और 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर आईओसी (19 किग्रा) के, 3 इलेक्ट्रिक मोटर (बिना मार्का), 5 रेग्यूलेटर मय सुरक्षा पाईप को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज

अ. जिला कलक्टर (प्रथम) 11.12.24
अलवर (राज0)

7 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा) और 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर आईओसी (19 किग्रा) के, 3 इलेक्ट्रिक मोटर (बिना मार्का), 5 रेग्यूलेटर मय सुरक्षा पाईप मै० प्रसन्ना गैस एजेंसी, अलवर के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 07 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा) और 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर आईओसी (19 किग्रा) के, 03 इलेक्ट्रिक मोटर (बिना मार्का), 05 रेग्यूलेटर मय सुरक्षा पाईप को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद रजि0 तलबी/तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता अनु0। अप्रार्थी की एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार मौके पर श्री दिनेश कुमार मेहन्दीरत्ता पुत्र श्री भगवान दास, निवासी 2/116. एनईबी हाउसिंग बोर्ड, अलवर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) में से इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से एलपीजी गैस को निकालकर वाहनों में भरने का कार्य किया जा रहा था। दौराने जांच मौके पर श्री दिनेश कुमार मेहन्दीरत्ता पुत्र श्री भगवान दास की दुकान की जांच करने पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा) और 1 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर आईओसी (19 किग्रा) के 3 इलेक्ट्रिक मोटर (बिना मार्का), 5 रेग्यूलेटर मय सुरक्षा पाईप पाये गये। श्री दिनेश कुमार मेहन्दीरत्ता पुत्र श्री भगवान दास द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री दिनेश कुमार मेहन्दीरत्ता पुत्र श्री भगवान दास द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा) और 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर आईओसी (19 किग्रा) के, 03 इलेक्ट्रिक मोटर (बिना मार्का), 05 रेग्यूलेटर मय सुरक्षा पाईप, को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. (14.2 किग्रा) और 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर आईओसी (19 किग्रा) के, 03 इलेक्ट्रिक मोटर (बिना मार्का), 05 रेग्यूलेटर मय सुरक्षा पाईप, सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)